आदेश की क्रम- संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ

11-5-15

न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, जहानाबाद
आपूर्ति अपील वाद संख्या–31 / डी0एम0 / 2013
उमेश मोची वनाम सरकार
आदेश

यह आपूर्ति अपील अपीलार्थी श्री उमेश मोची, पिता बाबूलाल मोची, ग्राम–फरीदपुर उचिटा, थाना–शकुराबाद, जिला–जहानाबाद के द्वारा आपूर्ति अभिलेख सं0–07 / 2013 राज्य वनाम उमेश मोची में दिनांक–12.07.13 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि ये जन वितरण प्रणाली ग्राम–फरीदपुर उचिटा के विक्रेता हैं तथा इनका जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति सं0–13 / 2007 है। दिनांक–25.04.13 को खाद्यान दिवस को अपीलार्थी के जन वितरण प्रणाली दुकान की जांच की गई थी। जांच के क्रम में अपीलार्थी का जन वितरण प्रणाली का दुकान बंद पाया गया। जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, रतनी–फरीदपुर के द्वारा अपीलार्थी के दुकान को सील कर दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक–351 / आ0, दिनांक–29.04.13 के आलोक में अपीलार्थी के जन वितरण प्रणाली के दुकान को खोल कर संयुक्त जांच समिति जिसमें सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जहानाबाद, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मखदुमपुर, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, घोषी के द्वारा अपीलार्थी के जन वितरण विक्रेता के दुकान का भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन में 12.48 क्विंटल गेहूं तथा 9.21 क्विंटल चावल भंडार में कम पाया गया। जन वितरण के बाहर 12.50 क्विंटल गेहूं तथा 9 क्विंटल चावल पाया गया। वितरित किरासन तेल का जमा कुपन के अनुसार 30.75 लीटर किरासन तेल कम पाया गया। उपभोक्ताओं के द्वारा जांच दल के समक्ष शिकायत दर्ज करायी गई कि जन वितरण विक्रेता के द्वारा कम राशन की आपूर्ति की जाती है तथा निर्धारित मूल्य से अधिक पैसा लिया जाता है। संयुक्त जांच दल के रिर्पोट के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक–387, दिनांक–03.05.13 के द्वारा जन वितरण विक्रेता से कारण पृच्छा की मांग की गई कि क्यों नहीं जांच प्रतिवेदन के आधार पर जन वितरण के अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया जाय। अपीलार्थी के द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब दिनांक–27.05.13 को दाखिल किया गया जिसमें अपीलार्थी के द्वारा सभी आरोपों को अस्वीकार किया गया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर के मंतव्य के आलोक में पत्रांक–589 / आ0, दिनांक–08.06.13 के द्वारा पुरक स्पष्टीकरण की मांग की गई। अपीलार्थी के द्वारा दिनांक–26.06.13 को स्पष्टीकरण का जवाब दाखिल किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद ने पत्रांक–710, दिनांक–05.07.13 के द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक–12.07.13 को उपस्थित होने हेतु आदेश दिया गया। अपीलार्थी दिनांक 12.07.13 को उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण दाखिल किया। अपीलार्थी का कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अपीलार्थी के अनुपस्थिति में आदेश पारित कर अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया जिसकी जानकारी दिनांक–27 जुलाई 2013 को हुई। अपीलार्थी के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दाखिल कर आदेश की छायाप्रति की मांग की गई परन्तु अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा सूचना नहीं